"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 531] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 21 अक्टूबर 2014— आश्विन 29, शक 1936

चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 21 अक्टूबर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 21-08/2013/नौ/55-4 (1). — छत्तीसगढ़ एनाटॉमी एक्ट, 1954 (क्रमांक 16 सन् 1954) की धारा 2 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, निम्नलिखित संस्थानों को शरीर रचना संबंधी परीक्षण एवं विच्छेदन करने के लिये "अनुमोदित संस्थान" के रूप में स्वीकृति प्रदान करती है, अर्थात् :-

1. स्वशासी/शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय तथा अस्पताल एवं निजी चिकित्सा महाविद्यालय तथा इससे सम्बद्ध अस्पताल ;

2. स्वशासी/शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय तथा अस्पताल एवं निजी दंत चिकित्सा महाविद्यालय तथा इससे सम्बद्ध अस्पताल ;

3. स्वशासी/शासकीय आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय तथा अस्पताल एवं निजी आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय तथा इससे सम्बद्ध अस्पताल ;

4. स्वशासी/शासकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय तथा अस्पताल एवं निजी होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय तथा इससे सम्बद्ध अस्पताल ;

5. स्वशासी/शासकीय यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय तथा अस्पताल एवं निजी यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय तथा इससे सम्बद्ध अस्पताल ;

6. स्वशासी/शासकीय फिजियोथेरेपी महाविद्यालय तथा निजी फिजियोथेरेपी महाविद्यालय.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एल. रात्रे, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 21 अक्टूबर 2014

क्रमांक एफ 21 -08/2013/नौ/55-4 (1). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 21-10-2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एल. रात्रे, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 21st October 2014

NOTIFICATION

No. F 21-08/2013/Nine/55-4 (1). — In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 2 of the Chhattisgarh Anatomy Act, 1954 (No. 16 of 1954), the State Government hereby, approves the following institutions to carry on anatomical examination and dissections as "approved institution", namely :-

1. Autonomous/Government Medical Colleges and Hospitals and Private Medical Colleges and Hospitals affiliated thereto ;
2. Autonomous/Government Dental Colleges and Hospitals and Private Dental Colleges and Hospitals affiliated thereto ;
3. Autonomous/Government Ayurvedic Colleges and Hospitals and Private Ayurvedic Colleges and Hospitals affiliated thereto ;
4. Autonomous/Government Homeopathic Colleges and Hospitals and Private Homeopathic Colleges and Hospitals affiliated thereto ;
5. Autonomous/Government Yunani Colleges and Hospitals and Private Yunani Colleges and Hospitals affiliated thereto ;
6. Autonomous/Government Physiotherapy Colleges and Private Physiotherapy Colleges.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
S. L. RATRE, Joint Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 21 अक्टूबर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 21-08/2013/नौ/55-4 (2). — छत्तीसगढ़ एनाटॉमी एक्ट, 1954 (क्रमांक 16 सन् 1954) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, सभी चिकित्सा महाविद्यालयों के अधिष्ठाता/प्राचार्य तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों/सिविल सर्जनों को उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन उनके संबंधित क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत शक्तियों को प्रयोग करने के लिये "प्राधिकृत अधिकारी" के रूप में अधिकृत करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एल. रात्रे, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 21 अक्टूबर 2014

क्रमांक एफ 21-08/2013/नौ/55-4 (2). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 21-10-2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एल. रात्रे, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 21st October 2014

NOTIFICATION

No. F 21-08/2013/Nine/55-4 (2). — In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Chhattisgarh Anatomy Act, 1954 (No. 16 of 1954), the State Government hereby, authorizes Dean/Principal of all Medical Colleges and Chief Medical and Health Officers/Civil Surgeons within their respective jurisdiction to exercise powers under Section 5 of the said act as "Authorized Officer".

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
S. L. RATRE, Joint Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 21 अक्टूबर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 21-08/2013/नौ/55-4 (3). — छत्तीसगढ़ एनाटॉमी एक्ट, 1954 (क्रमांक 16 सन् 1954) की धारा 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत जिलाधीशों को उनके संबंधित क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत कर्तव्यों का पालन करने के लिये प्राधिकृत करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एल. रात्रे, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 21 अक्टूबर 2014

क्रमांक एफ 21 -08/2013/नौ/55-4 (3). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 21-10-2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एल. रात्रे, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 21st October 2014

NOTIFICATION

No. F 21-08/2013/Nine/55-4 (3). --- In exercise of the powers conferred under Section 3 of the Chhattisgarh Anatomy Act, 1954 (No. 16 of 1954), the State Government, hereby, authorizes collectors within their respective jurisdiction to discharge duties under Section 3 of the said Act.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
S. L. RATRE, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.